संख्याः 3329/VII-II-09/01–रा0मु0/2005

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रूड़की हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 18 दिसम्बर,2009

विषयः **वित्तीय वर्ष 2009–10 में आयोजनागत मद अन्तर्गत राजकीय मुद्रणालय रूड़की हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः3221/भण्डार–क्रय/09 दिनांक 9.9.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में राजकीय मुद्रणालय रूड़की के 26–मशीनें और साज–सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 लाख आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि में से 02 पुरानी डुप्लो मशीनों के स्थान पर 02 नयी डुप्लो मशीनों को बाय बैक स्कीम के अन्तर्गत क्रय हेतु **रू0 15,70,854/–(रू0 पन्द्रह लाख सत्तर हजार आठ सौ चौव्वन मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

3– स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स/टेन्डर/कोटेशन/डी0जी0एस0एण्ड डी0 के नियमों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सहकारी संघ द्वारा कय की जा रही मशीनों की अन्य फर्मो से भी डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें प्राप्त करके अधिक गुणवत्ता एवं आवश्यकता की मशीन ही कय मूल्य वरीयता के अनुसार कय की जायेगी, जो पुरानी मशीनें निष्प्रयोज्य होने योग्य हैं उन्हें तुरन्त निष्प्रयोज्य घोषित करके अर्जित राशि राजकोष में एक माह के अन्दर जमा कर दी जायेगी। डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर बाय बैक स्कीम के तहत उपकरणों का कय किया जायेगा, ताकि कम से कम लागत में मशीन कय की जा सके।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2010 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया

जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2010 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 4058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय, 00–आयोजनागत, 103–सरकारी मुद्रणालय, 03–सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय, 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्याः 557/XXVII(2)/2009 दिनांक 16 दिसम्बर 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 3329/VII-II-09/01–रा0मु0/2005 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी रूड़की हरिद्वार।
3. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त/नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।